संख्या 15011/36/2022-जे यू एस (एयू)/ई6889

भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

विषय: **<u>न्याय विभाग से संबंधित अप्रैल, 2022 माह का मासिक सार।</u>**

न्याय विभाग से संबंधित अप्रैल, 2022 माह की महत्वपूर्ण गतिविधियां निम्नलिखित हैं:

1. **राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों का संयुक्त सम्मेलन:**

देश में न्याय के प्रशासन से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों का संयुक्त सम्मेलन न्याय विभाग द्वारा 30 अप्रैल, 2022 को विज्ञान भवन में सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। सम्मेलन में (i) दिनांक 24-04-2016 को आयोजित मुख्यमंत्रियों और मुख्य न्यायाधीशों के पूर्व सम्मेलन में पारित संकल्पों के कार्यान्वयन पर प्रगति (ii) मामलों के लंबन में कमी करने (iii) कानूनी सहायता सेवा और भावी रणनीति (iv) न्यायालयों में बुनियादी ढांचा विकसित करने, (v) न्यायपालिका में रिक्तियों को भरने और (vi) ईकोर्ट फेज-3 की परिकल्पना करने के संबंध में विचार विमर्श हुआ।

2. **ईकोर्ट मिशन मोड पर योजना-II:**

- **बजट:** ईकोर्ट परियोजना फेज-।। की कुल परिव्यय 1670 करोड़ रुपए है जिसमें से दिनांक 11-03-2022 तक न्याय विभाग द्वारा 1668.43 करोड़ रुपए की राशि परियोजना के कार्यान्वयन में लगे विभिन्न संगठनों को जारी की गई है।
- **वाइड एरिया नेटवर्कः** बीएसएनएल ने 2992 कोर्ट परिसरों में से 2968 कोर्ट परिसरों को 10 एमबीपीएस से लेकर 100 एमबीपीएस बैंडविथ गति के नेटवर्क प्रदान किए हैं।
- **राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी)**:इस समय राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड के माध्यम से वादीगण 01-04-2022 की स्थिति के अनुसार 20.23 करोड़ से अधिक मामलों से संबंधित स्थिति की सूचना और 17.22 करोड़ से अधिक आदेशों/निर्णयों से संबंधित जानकारी ले सकते हैं।
- **वर्चुअल न्यायालयः** 17 वर्चुअल न्यायालयों द्वारा 1.39 करोड से अधिक मामलों में सुनवाई की गई और दिनांक 01-04-2022 तक 23 लाख से अधिक मामलों में 236 करोड रुपए से अधिक का ऑनलाइन जुर्माना वसूला गया।
- **जस्टिस ऐप:** दिनांक 01-04- 2022 तक जस्टिस ऐप डाउनलोड करने वालों की संख्या17067 पहुंच गई है।
- **ई कोर्ट सर्विस मोबाइल ऐपः** वकीलों/वादीगणों के लिए मोबाइल ऐप डाउनलोड करने वालों की कुल संख्या 77.84 लाख हो गई है।
- **इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन एग्रीगेशन एंड एनालिसिस लेयर (ई ताल):** इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन एकत्रीकरण और विश्लेषण लेयर (ई ताल) पर प्रकाशित डाटा के अनुसार, भारत में पिछले 1 वर्ष में कुल 455 करोड़ ई ट्रांजैक्शन वाले पांच शीर्ष एमएमपी में से एक अग्रणी पोर्टल है। दिनांक 31/03/2022 तक एकत्रित किए गए डेटा के अनुसार, निम्नलिखित मदों के संबंध में उपलब्धियां निम्नानुसार थीं:

i) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग:

क) कोविड-19 डाउन आरंभ होने के समय से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का प्रयोग करके जिला न्यायालयों में 1,27,06,895 मामलों की और उच्च न्यायालयों में 63,01,483 मामलों की अर्थात (कुल 1.90 करोड़) मामलों की सुनवाई हुई।

ख) कुल 23 उच्च न्यायालयो ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियमों का पालन किया है। इसके अलावा, 28 उच्च न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, 24 जिला न्यायालयों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियमों का पालन किया है।

ii) ई फाइलिंग:दिनांक 31-03- 2022 तक कुल 19 उच्च न्यायालयों ने ई फाइलिंग के मॉडल नियमों का पालन किया है। इसके अलावा, 28 उच्च न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, 18 जिला न्यायालयों ने ई फाइलिंग के मॉडल नियमों का पालन किया है।

iii) ई सेवा केंद्र: 26 उच्च न्यायालयों के अंतर्गत 493 ई सेवा केंद्रों को कार्यात्मक मनाया गया है।

iv) ई भुगतान:कुल 17 उच्च न्यायालयों ने अपने संबंधित क्षेत्राधिकारों मैं ई भुगतान लागू किया है जबकि 22 उच्च न्यायालयों ने न्यायालय फीस अधिनियम में संशोधन किया है।

v) मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की ग्वालियर बेंच में ई सेवा केंद्र का उद्घाटन: दिनांक 03-12-2021 को न्यायमूर्ति श्री रवि मलिमथ, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नेन्यायमूर्ति श्री रोहित आर्य, भारत के उच्चतम न्यायालय की समिति के अध्यक्ष की गरिमामय उपस्थिति में, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की ग्वालियर बेंच मैं ई सेवा केंद्र का उद्घाटन किया। ग्वालियर बेंच में वादीगणों के लिए मामले की स्थिति से संबंधित सूचना, सुनवाई की अगली तारीख, प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने, ई फाइलिंग, ई भुगतान, ई कोर्ट फीस, कोर्ट मोबाइल एप्लीकेशन, ई मुलाकात- जेल नियुक्ति, और मुफ्त कानूनी सहायता जैसे दस सेवाएं उपलब्ध कराई गई हैं।

- **मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरई बेंच में डिजिटलीकरण विंग का उद्घाटनः** भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री वी रामासुब्रमण्यन,और न्यायमूर्ति श्री एमएम सुंदरेष ने 04-12-2021 को न्यायमूर्ति श्री मुनीश्वर नाथ भंडारी, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश और न्यायमूर्ति श्रीमती पुष्पा सत्यनारायण, मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरई बेंच की प्रशासनिक न्यायाधीश की गरिमामय उपस्थिति में डिजिटलीकरण विंग का उद्घाटन किया। इस विंग में दिनांक 24-11-2021 से 240 दिन के भीतर 62500 पृष्ठ प्रतिदिन की दर से विरासत मामलों के अभिलेखों/प्रशासनिक फाइलों के लगभग 1.50 करोड़ पृष्ठों का डिजिटलीकरण करने की प्रक्रिया चल रही है। प्रशासनिक फाइलों के अलावा आपराधिक पहलू पर नए और लंबित केस रिकॉर्ड (जमानत/अग्रिम जमानत) के डिजिटलीकरण का कार्य दिनांक 20-12-2021 से प्रारंभ कर दिया गया।
- **"डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन, रिपोर्ट एंड कम्युनिकेशन ट्रैकर"को पटना उच्च न्यायालय द्वारा लॉन्च किया गया:**पटना उच्च न्यायालय ने दिनांक 10-12-2021 को "डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन, रिपोर्ट एंड कम्युनिकेशन ट्रैकर (डीआईआर ई सीटी) लांच किया। इस सॉफ्टवेयर की सहायता से न्यायपालिका और प्रत्येक न्यायपालिका अधिकारियों के सभी संगत डाटा/रिपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध होगी।
- **राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जारी दिनांक 01-01-2022 से सरकारी मामलों के लिए अनिवार्य ई फाइलिंग की अधिसूचना:**दिनांक 20-12-2021 को, केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा राजस्थान उच्च

न्यायालय में दायर किए गए मामलों में अनिवार्य ई फाइलिंग के संबंध में राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अधिसूचना जारी की गई है।

- **मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा लांच की गई जियो फेंसिंग आधारित-एनआईएसएआरजी, स्मार्ट मॉनिटरिंग ऐप:** सामाजिक जिम्मेदारियों अर्थात वृक्षारोपण, अस्पतालों में स्वयंसेवकों के रूप में सेवा करने और जल संरक्षण के संबंध में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए आदेशों की मोबाइल ऐप के माध्यम से निगरानी सुनिश्चित करने के लिए ,मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री रवि मलिमथ ने ग्वालियर बेंच के प्रशासनिक न्यायाधीश, न्यायमूर्ति श्री रोहित आर्य की उपस्थिति में एनआईएसएआर जी, स्मार्ट मॉनिटरिंग ऐप का ई उद्घाटन किया।
- **त्रिपुरा उच्च न्यायालय द्वारा लांच की गई लाइव केस स्टेटस- एचसीटी मोबाइल एप्लीकेशन:** त्रिपुरा उच्च न्यायालय ने दिनांक 01-01-2012 को बार सदस्यों के किसी अन्य फोरम में उपस्थित होने के दौरान उच्च न्यायालय द्वारा सुने जाने वाले मामलों पर निगरानी रखने के लिए बार सदस्यों के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया है।
- **पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा लांच किया गया जांच के लिए जवाबी आपत्तियां प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल:** समयबद्ध आधार पर परिणाम घोषित करने की सुविधा के उद्देश्य से उच्च न्यायालय द्वारा पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा की गई जांच में जवाबी आपत्तियां प्राप्त करने के लिए वादीगणों के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया है।

3. **टेली लॉ वंचितों तक पहुंच**:
   - माह के दौरान 1,40,013 व्यक्तियों को कानूनी सलाह प्रदान की गई थी।
   - 30 अप्रैल, 2022 तक कुल दी गई सलाह के मामलों की संख्या 18,09,977 थी।
   - 14 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 44 प्रशिक्षण और जागरूकता कैंप आयोजित किए गए जिनमें 730 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया।

4. न्याय बंधु (प्रो बोनो कानूनी सेवा):

- माह के दौरान न्याय बंधु मोबाइल एप्लीकेशन/वेब पोर्टल के माध्यम से 79 नए प्रो बोनो वकीलों ने पंजीकरण किया।
- न्याय बंधु मोबाइल एप्लीकेशन के अंतर्गत कुल 4141 वकील (पुरुष-3614,महिला-525, ट्रांसजेंडर-02) पंजीकृत हो चुके हैं।
- न्याय बंधु पैनल के तहत 26 नए वकीलों ने नामांकन किया। 14/25 उच्च न्यायालयो द्वारा अब तक न्याय बंधु पैनल के तहत कुल 725 प्रो बोनो वकीलों का नामांकन किया गया है।
- 12 नए विद्यालयों ने प्रो बोनो क्लब स्कीम से जुड़ने की ऑफर स्वीकार की। अब तक कुल 43 विधि विद्यालयों ने प्रो बोनो क्लब स्कीम प्रारंभ कर दी है।

5. विधिक साक्षरता कार्यक्रम:

- कानूनी जागरूकता वेबीनार श्रंखला के भाग के रूप में,न्याय विभाग ने 25 अप्रैल, 2022 को **"कानूनी विवाद में बच्चे"** विषय पर एक वेबीनार आयोजित की। जिला न्यायपालिका, भारत के उच्चतम न्यायालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय, बाल अधिकार संरक्षण राष्ट्रीय आयोग और मनोसामाजिक क्षेत्र के प्रमुख वक्ताओं ने अधिनियम से संबंधित महत्वपूर्ण सूचना का आदान प्रदान किया और वेबीनार में आयोजित परस्पर वार्ता सत्र में प्रतिभागियों के प्रश्नों का जवाब दिया। इस वेबीनार में कानूनी विवाद में बच्चों के जीवन यापन, विकास, संरक्षण और पुनर्वास के संबंध में क्षेत्रीय स्तर के कार्यकर्ताओं की समझ को मजबूत किया गया। इस वेबीनार के माध्यम से 20,207 प्रतिभागियों तक पहुंचा गया।

- इस माह के दौरान सेंटर फॉर कम्युनिटी इकोनॉमिक्स एंड डेवलपमेंट कंसल्टेंट्स सोसायटी (सीईसीओईडीईसीओएन) राजस्थान ने मौलिक अधिकार, बाल अधिकार, महिला अधिकार और वयोवृद्ध व्यक्तियों के अधिकारों पर 11 ग्रामीण स्तर के जागरूकता कैंप, 21 धानी स्तर की बैठकें और 5 पंचायत स्तर की संवेदीकरण बैठकें आयोजित कीं और इनके माध्यम से 6721 प्रतिभागियों तक पहुंचा गया।
- सिक्किम राज्य महिला आयोग (एसएससीडब्लू) ने सिक्किम के पकयोंग जिले में सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, रेनॉक में घरेलू हिंसा, बाल यौन अपराध और कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के खिलाफ एक दिवसीय कानूनी जागरूकता और संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में 233 छात्रों और 27 फैकल्टी सदस्यों ने प्रतिभागिता की।
- माह के दौरान जवाहरलाल नेहरू आयुर्विज्ञान संस्थान (जेएनआईएमएस) ने मणिपुर के चुराचांदपुर जिला के कॉलेज छात्रों और सिविल सोसाइटी संगठनों के लिए बाल यौन अपराध, कानूनी उपचार और बच्चों से संबंधित अन्य विधानों की वैचारिक रूपरेखा पर 3 ऑनलाइन और ऑफलाइन विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जिनमें 167 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया।
- अरुणाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (एपीएसएलएसए) ने अरुणाचल प्रदेश के अपर सियांग जिले में प्रशिक्षण सह विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जिसमें ग्राम वृद्धों और ग्राम वृद्धाओं सहित 112 प्रतिभागियों को पारंपरिक ग्राम परिषद प्रणाली और भारत के औपचारिक कानून की परंपरागत प्रथाओं पर जानकारी दी गई।

xxxxxxxxxxxx